07-06-10
hindustantimes

'People have a tendency to hide information about their assets'

FACE TO FACE: Shubhra Singh, director census dubs the project a "challenge"

As Director, Census Rajasthan, Shubhra Singh is in-charge of the mammoth task to ensure that all people are covered under the survey. An IAS officer of the 1989 batch, Singh was instrumental in the conceptualising and launch of the National Rural Health Mission, one of the flagship schemes of the UPA government. Singh was also secretary and Managing Director, NRHM in Rajasthan and Commissioner, Sarva Shiksha Abhiyan. In an informal interaction with Team HT, Singh shares her experiences at the helm.

Q. What has the response of the people been to the census?

A. In rural areas people are responding well and compared to urban areas they are forthcoming. So far we got very good response from Tonk, Sriganganagar and Jhalawar.

Are people forthcoming in sharing all that information?

We discovered that people have a tendency of hiding information about their assets as they think this information can go against them while seeking benefits of some yojana. But we have made it clear that house listing information is confidential.

What is the manpower involved?

Including the supervisors and enumerators, we have about 1.5 lakh people working with us. Though the census is a central operation, we use state government machinery as our functionaries. Every supervisor has 6 enumerators under him.

Do enumerators have photo ID cards?

Yes, enumerators have been issued identity cards with their photographs and they are supposed to should show it to people.

If a person has a complaint against an enumerator?

The person can complain at control rooms that have been set up at all the district headquarters. Our numbers are available on www.rajcensus.com. Apart from this, a complaint can be lodged at the office of the district collector and tehsildar.

How many questions are the enumerators asking people?

An enumerator has two schedules. The House Listing Schedule has 35 questions while the National Population Register (NPR) has 14 questions. Information under the NPR is accessible, whereas information in the House Listing is totally confidential.

What is the National Population Register?

The National Population Register has been introduced for the first time. The census will be in two phases. Till June 30 this year and then from February 9 to 20 next year. The data canvassed now for the National Population Register will not be repeated next year and will be used for 'Aadhar', the unique ID card number. So now the census will become dynamic as the data will have to be updated regularly.

What about the census of the migrant population and homeless people?

We have ensured that all people, including migrating ones, are covered under the census. For homeless and migrating people there is provision of census during next phase in February 2011. Coverage of migrants is important under the census. The enumerators will visit such people again and again to ensure they are not left out from the census.

What is the budget for the entire operation? What is the remuneration to the enumerators?

The budget for the entire process is around Rs806 crore. The emoluments are decided by the central government. This time there has been a substantial hike in the emoluments. The enumerators are getting Rs 5,500 as against the previous Rs1,500. Those involved in the National Population Register will be paid an additi[onal] Rs1,100.

What is it like controlling suc[h] massive manpower and co-o[rdi]nating with other administra[tive] bodies?

Co-coordinating with al[l] administration bodies invol[ved] with us is a challenge a[s] departments are hard pre[ssed] and running their own c[am]paigns. I have 38 principal [offi]cers, which include 33 dist[rict] collectors and 5 Chief Execu[tive] Officers of Munici[pal] Corporations. If there are roadblocks or flaws in co[ordi]nation we take necessary ac[tion] and resolve them.

(COORDINATED

जनगणना निदेशक ने की कार्य की समीक्षा

टाउन व ग्राम निर्देशिका जुलाई में भरी जाएगी

कोटा। सरकार द्वारा दो प्रकार की निर्देशिकाएं शीघ्र ही भिजवाई जा रही हैं। टाउन निर्देशिका को 15 जुलाई तक एवं ग्राम निर्देशिका को 30 जुलाई तक भरना होगा। ये निर्देशिकाएं ग्राम स्तर से बनने वाली विकास योजनाओं का भी महत्वपूर्ण आधार बनेंगी। यह बात जनगणना निदेशक शुभसिंह ने टैगोर हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में कही।

उन्होंने चार्ज अधिकारियों से कहा कि वे साप्ताहिक रूप से उनके अधीन सुपरवाइजरों के कार्य की समीक्षा करें। जनगणना कार्य में चार्ज अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वे इस कार्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सघन निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण इस प्रकार से हो जिससे कि क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रगणकों को संबल व सहायता मिले। बैठक में जनगणना निदेशक ने प्रमुख जनगणना अधिकारी, स्पेशल चार्ज ऑफिसर एवं चार्ज ऑफिसर्स से उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में ही इनके द्वारा संधारित रिकार्ड का नमूने के तौर पर अवलोकन किया। कलेक्टर टी.रविकांत ने बैठक से पूर्व विशेष रूप से स्पेशल चार्ज ऑफिसर्स के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन नरेन्द्र गुप्ता, प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी एवं सीईओ मदनमोहन शर्मा भी मौजूद थे।

अधिकारियों की बैठक लेते शुभसिंह।

जनगणना के प्रथम चरण का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण

कोटा। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का लगभग 30 प्रतिशत कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके तहत मकानों का चिह्नीकरण कर पर्चियां काटी जा रही हैं। यह बात गुरुवार को जनगणना निदेशक शुभसिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कही।

उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रहित का कार्य है। इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। अब विकेन्द्रीकृत योजनाएं बनाई जाने लगी हैं। इसके लिए भी जनगणना का महत्व है। जनगणना में लोग प्रगणक को परिवार के सदस्यों व घर के संसाधनों की सही जानकारी दें। इसके लिए प्रगणक को भी परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेना होगा। जनगणना में शामिल जानकारी को पूर्ण गोपनीय रखा जाएगा। इस जानकारी को सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं दिया जा सकता। प्रगणक को सही जानकारी नहीं देने वाले व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन दर्ज हो सकता है। सही जानकारी नहीं भरने वाला प्रगणक को इस मामले में तीन वर्ष का कारावास तथा गलत सूचना देने वाले व्यक्ति पर जुर्माना हो सकता है।

पहली बार होगा सामाजिक अंकेक्षण

जनगणना निदेशक शुभसिंह ने कहा कि जनगणना के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर भरा जा रहा है, इसमें भरी जाने वाली सूचनाओं का फीड बैक लेने के लिए पहली बार सामाजिक अंकेक्षण होगा, इसलिए जरूरी है कि भरी जाने वाली सभी सूचनाएं सत्य हों।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना प्रगणक को देने की जानकारी मिलेगी तो, इसकी जांच फ्लाइंग स्क्वॉयड से करवाई जाएगी। इस दौरान जानकारी देने वाले सदस्य व प्रगणक दोनों से पूछताछ की जाएगी।

टैगोर हॉल में गुरुवार को जिले में जनगणना कार्य की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए राजस्थान राज्य जनगणना निदेशक शुभ्रा सिंह। साथ में जिला कलक्टर टी. रविकांत। पत्रिका

सूचनाओं का होगा सामाजिक अंकेक्षण

जिले के जनगणना कार्य की समीक्षा

कार्यालय संवाददाता @ कोटा

जनगणना कार्य में लगे प्रगणक सही सूचनाएं भरें और चार्ज अधिकारी और सुपरवाइजर प्रभारी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें। जनगणना के तहत पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर भरा जा रहा है, इसमें भरी जाने वाली सूचनाओं का पहली बार सामाजिक अंकेक्षण होगा। राजस्थान राज्य जनगणना निदेशक शुभ्रा सिंह ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने नगर निगम की ओर से गई तैयारियों की सराहना की और जिले में जनगणना कार्य पर संतोष जताया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) नरेन्द्र कुमार गुप्ता, नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मदन मोहन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दोनों होंगे दोषी

उन्होंने कहा कि जनगणना में गलत सूचना देना और गलत भरना दोनों ही दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। गलत सूचना भरने वाले प्रगणक को तीन वर्ष तक की सजा तथा गलत सूचना देने वाले को जुर्माने की सजा का प्रावधान है। जिला कलक्टर टी. रविकांत ने बैठक से पहले अधिकारियों से जनगणना कार्य की समीक्षा की।

निर्देशिकाएं भेजी जाएगी

सरकार की ओर से दो प्रकार की निर्देशिकाएं भी शीघ्र ही भिजवाई जाएगी। शहरी निर्देशिका को 15 जुलाई तक व ग्राम निर्देशिका को 30 जुलाई तक भरना होगा।

निरीक्षण किया

शुभ्रा सिंह ने सुबह गंगापचा, विज्ञान नगर एवं नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर जनगणना कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने महावीर नगर क्षेत्र में कार्यरत प्रगणक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वरिष्ठ लिपिक लीलाधर चौरसिया के कार्य की सराहना की।

राजस्थान पत्रिका

४ – ६ – 10

गोपनीय जानकारी नहीं होगी सार्वजनिक

कोटा . राष्ट्रीय जनगणना में लोगों से चाही जाने वाले सम्पूर्ण जानकारी सही-सही देना कानूनन जरूरी है। इसमें सम्पत्ति आदि की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जनगणना में संकलित जानकारी सूचना के अधिकार में भी नहीं दी जाएगी। कोटा प्रवास पर आई राजस्थान राज्य जनगणना निदेशक शुभ्रा सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि जनगणना कार्यक्रम का 30 जून तक चलने वाले पहले चरण का कार्य तकरीबन 30 फीसदी पूरा हो चुका है। जो लोग जनगणना में सहयोग नहीं कर रहे हैं या जानकारी छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सभी जगह विशेष उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। जनगणना में लगे कर्मचारियों को 'पहचान पत्र' जारी कर दिए गए हैं। इसे जनगणना के दौरान लगाकर जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

जनगणना सूचनाओं का होगा सामाजिक अंकेक्षण

कोटा, 3 जून। जनगणना के तहत प्रथम बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर भरा जा रहा है। इसमें भरी जाने वाली सूचनाओं का फीड बैक लेने के लिए पहली बार सामाजिक अंकेक्षण होगा। इसलिए जरूरी है कि भरी जाने वाली सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से सत्य हों। यह निर्देश गुरूवार को यहां राजस्थान राज्य जनगणना निदेशक शुभ्रा सिंह ने कोटा जिले में जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए चार्ज अधिकारियों को दिये।

जनगणना निदेशक ने जनगणना कार्य के लिए नगर निगम की ओर से की गयी तैयारियों की सराहना करते हुए जिले में जनगणना कार्य पर संतोष जताया। उन्होंने जनगणना कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए चार्ज अधिकारियों से कहा कि वे साप्ताहिक रूप से उनके अधीन सुपरवाईजरों के कार्य की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में चार्ज अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वे इस कार्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सघन निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण इस प्रकार से हो जिससे कि क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रगणकों को सम्बल व सहायता मिले।

जनगणना निदेशक ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सुपरवाईजर व प्रगणक उनको दिये गये फोटो पहचान पत्र आवश्यक रूप से धारण कर ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जनगणना के कार्य के लिए जिस प्रगणक को लगाया गया है वह स्वयं ही इस कार्य को करे न कि किसी और को सौंप दे।

● निदेशक शुभ्रा सिंह ने की जनगणना कार्य की समीक्षा

सही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रगणकों को चाहिये कि वे जिस परिवार की सूचनाएं संकलित करें उसे विश्वास में लें और बतायें कि आप द्वारा दी गयी सूचनाएं पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगी। इन सूचनाओं का इनकम टेक्स, सूचना के अधिकार एवं न्यायालय के अभियोजन जैसे किसी भी कार्य के लिए किसी भी सूरत में उपयोग नहीं होगा। विश्वास में लेने पर ही सही सूचनाएं संकलित हो सकेंगी। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि प्रगणक किसी भी प्रकार से गलत सूचनाएं नहीं भरे।

उन्होंने बताया कि सही सूचना नहीं देना और प्रगणक द्वारा गलत सूचना भरना दोनों ही दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसमें गलत सूचना भरने वाले प्रगणक को तीन वर्ष तक की सजा तथा गलत सूचना देने वाले को जुर्माने की सजा से दंडित करने का भी प्रावधान है।

जनगणना निदेशक ने जनगणना कार्य के दौरान मकान नम्बर लिखने का कार्य सबसे पहले पूरा करने के निर्देश भी दिये। जनगणना निदेशक ने बताया कि सरकार की ओर से दो प्रकार की निर्देशिकाएं भी शीघ्र ही भिजवाई जायेगी। टाउन निर्देशिका को 15 जुलाई तक एवं ग्राम निर्देशिका को 30 जुलाई तक भरना होगा। ये निर्देशिकाएं ग्राम स्तर से बनने वाली विकास योजनाओं का भी महत्वपूर्ण आधार बनेगी।

बैठक में जनगणना निदेशक ने प्रमुख जनगणना अधिकारी, स्पेशल चार्ज आफिसर्स से उनके द्वारा किये जा रहे कार्य की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में ही इनके द्वारा संधारित रिकॉर्ड का नमूने के तौर पर अवलोकन किया और चार्ज ऑफिसर्स की शंकाओं का समाधान भी किया। बैठक में जनगणना विभाग के उपनिदेशक एचसी शर्मा कोटा जिला जनगणना प्रभारी केबी शर्मा तथा नगर निगम प्रभारी ओपी बड़ाया ने भी शंकाओं का निराकरण किया।

प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टी. रविकांत ने बैठक से पूर्व विशेष रूप से स्पेशल चार्ज ऑफिसर्स के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन नरेन्द्र गुप्ता प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी एवं नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मदन मोहन शर्मा सहित अतिरिक्त चार्ज अधिकारी स्पेशल चार्ज अधिकारी व चार्ज अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

डेली - न्यूज
29/5/2010

तस्दीक में होगी आसानी › चेहरा, आंखें व फिंगरप्रिंट से बनेगी पहचान

जुलाई से शुरू होगी यूआईडी की प्रक्रिया

डेली न्यूज ब्यूरो, जयपुर

राज्य में यूनिक आईडी नंबर बनाने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसमें व्यक्ति का चेहरा, आंखें व फिंगरप्रिंट पहचान का हिस्सा रहेंगे। शेष विवरण जनगणना अभियान में लिया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बीबी नानावती एवं राज्य के प्रमुख आयोजना सचिव डीबी गुप्ता ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से नागरिक खुद की पहचान बताकर अपनी बायोमेट्रिक्स के माध्यम से साबित कर सकेंगे कि वे कौन हैं एवं कहां-कहां रहे हैं। केंद्रीय यूआईडी डाटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर सभी नागरिकों की पहचान का पहला संग्रह होगा।

विभिन्न एजेन्सियां भी यूआईडी डेटाबेस से ऑनलाइन संपर्क कर कुछ ही सेकंड्स में किसी व्यक्ति की पहचान तस्दीक कर सकेंगी।

जुलाई से शिविर लगेंगे

केंद्र सरकार की ओर से देश के हर नागरिक को दिए जाने वाले नंबर के लिए शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर जुलाई से लगेंगे। तब तक जनगणना का पहला चरण पूरा हो जाएगा, जिसमें हर नागरिक का विवरण दर्ज होगा।

12 अंकों का होगा आईडी नंबर

यूनिक आईडी नंबर 12 अंकों का होगा। यूनिक आईडी में नागरिक का चेहरा, आंखें व फिंगरप्रिंट होगा। यह कार्ड किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं में बतौर पहचान पत्र प्रयुक्त हो सकेगा।

नंबर देने की प्रक्रिया जारी

ऐसा नहीं है कि यह नंबर देने का काम एक बार ही होगा। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। शुक्रवार की बैठक में प्रमुख वित्त सचिव सीके मैथ्यू, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सीएस राजन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राकेश वर्मा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की प्रमुख सचिव अदिति मेहता आदि मौजूद थे।

दैनिक - भास्कर
29/5/2010

केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

यूनिक आईडी नंबर इसी साल

विशेष संवाददाता | जयपुर

राजस्थान में यूनिक आईडी नंबर इसी साल अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएंगे। जनगणना के फार्म भराने के साथ ही इसके लिए फिंगर प्रिंट और आंखों की पुतलियों व चेहरे का फोटो लिया जाएगा। यूनिक आईडी नंबर जनगणना के बाद जारी होने वाले कार्ड पर अंकित किए जाएंगे। सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान नंबर देने का काम शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राज्य सरकार के बीच शुक्रवार को यहां सहमति हुई। यूआईडीएआई के उपमहानिदेशक बी.बी. नानावती और राज्य की ओर से प्रमुख आयोजना सचिव डी.बी. गुप्ता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इससे पहले राज्य के प्रमुख वित्त सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपमहानिदेशक नानावती ने इसकी प्रक्रिया और इससे होने वाले लाभ के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। प्रमुख आयोजना सचिव ने बताया कि राज्य में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए केंद्र की ओर से 134.90 करोड़ रुपए पांच साल में मिलेंगे।

ऐसे बनेगा 12 डिजिट का विशिष्ट नंबर

प्रमुख आयोजना सचिव गुप्ता ने बताया कि हर व्यक्ति की पहचान के लिए हर व्यक्ति के फिंगर प्रिंट, आंखों की पुतलियों और चेहरे के फोटो लिए जाएंगे। इसके बाद उस व्यक्ति को 12 डिजिट का विशिष्ट नंबर दिया जाएगा। इसे दर्ज करने पर उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी कंप्यूटर पर तुरंत आ जाएगी।

कैसे होगा : गुप्ता ने बताया कि जनगणना के पहले चरण में घरों की गणना हो रही है, दूसरे में फार्म भरे जाएंगे और तीसरे चरण के व्यक्तियों की गणना के साथ फोटो भी लिए जाएंगे। इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे।

सभी शामिल : गुप्ता ने बताया कि यूनिक आईडी नंबर हर उस व्यक्ति को जारी किए जाएंगे, जो भारत में रह रहा है। इसके लिए देश का नागरिक होना जरूरी नहीं है। भारत में रहने वाले अन्य देशों के लोगों को भी ये नंबर दिए जाएंगे।

फायदा : बैंक खाता खुलवाने, नरेगा का भुगतान लेने, अपराधियों की पहचान, पासपोर्ट बनाने, नौकरी में पहचान देने जैसे कई महत्वपूर्ण कामों में यूनिक नंबर का उपयोग हो सकेगा। प्रदेश की कार्रवाई होते ही सारा डाटा केंद्र सरकार के सर्वर में चला जाएगा। वहां से हर व्यक्ति को नंबर जारी होने का पत्र भेजा जाएगा, जिसे संभाल कर रखना होगा।

चित्तौड़गढ़. जनगणना कार्यक्रम के तहत कलेक्टर डा. आरुषि मलिक से जानकारी लेते जनगणनाकर्मी।

कलेक्टर के घर हुई जनगणना

भास्कर न्यूज़ | चित्तौड़गढ़

राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम के तहत सोमवार को कलेक्टर व चेयरमैन के मकान का सूचीकरण का कार्य हुआ। जनगणना कार्य में कलेक्टर और चेयरमैन के आवास में कमरों की स्थिति, पेयजल के स्त्रोत की जानकारी एकत्रित की गई।

जनगणना कार्य के तहत कलेक्टर डा. आरुषि अजेय मलिक के निवास पर सोमवार सुबह नगर जनगणना अधिकारी व पालिका आयुक्त दिलीप गुप्ता, सहायक जनगणना अधिकारी प्रदीप गर्ग, जिला प्रभारी बीआर तारंग, जिला सांख्यकीय अधिकारी बीएल मेनारिया प्रगणक शीला शर्मा व सुपरवाइजर उदयलाल रैगर के साथ पहुंचे। कलेक्टर आवास पर मकान सूचीकरण के अलावा जनगणना कर्मियों ने कलेक्टर से जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में 14 प्रश्न पूछकर अनुसूची भरी गई। प्रगणकों ने एक से 35 कालम व जानकारी एकत्रित करते हुए मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य, कमरे, पेयजल स्त्रोत आदि की जानकारी ली।

बाद में कलेक्टर ने जनगणना कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। बाद में जनगणना अधिकारी व कर्मचारी सेंती में निवासरत चेयरपर्सन गीतादेवी योगी के आवास पर पहुंचे तथा जानकारी ली। वहां पर प्रगणक अनिता मोड व सुपरवाइजर नवलसिंह ने जानकारी एकत्रित की। इधर सहायक जनगणना अधिकारी प्रदीप गर्ग ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रगणक घर पर आए तो उन्हें संबंधित सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराए, क्योंकि जनगणना से ही देश में विकास की योजनाएं तय होंगी। इधर आयुक्त ने बताया कि जनगणना कार्य के लिए पालिका में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम 30 जून तक कार्य करेगा।

राष्ट्रदूत जयपुर 22 मई 201

शुभ्रासिंह ने जनगणना कार्य की समीक्षा बैठक ली

निवाई, (निसं)। राष्ट्रीय जनगणना की प्रदेश निदेशक शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार सुबह नगरपालिका कार्यालय में जनगणना के प्रथम चरण के कार्य की समीक्षा बैठक ली व सुपरवाईजरों व अधिकारियों से जानकारी ली।

जनगणना निदेशक शुभ्रासिंह ने इस दौरान जनगणना कार्य के दौरान बनाए जा रहे नजरी नक्शे, सहित मकान सूचीकरण कार्य की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जनगणना के राष्ट्रीय कार्य में लोगों को प्रगणकों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए तथा उनकी ओर से पूछी जानकारियों को सही रूप में बताना चाहिए जिससे सही आंकड़े तैयार हो सके।

उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य के दौरान प्रगणकों को गलत जानकारी देनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फील्ड सुपरवाईजरों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर प्रगणकों के कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

जनगणना निदेशक शुभ्रासिंह ने अधिकारियों को भी जनगणना कार्य की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान सुपरवाईजरों व प्रगणकों ने जनगणना कार्य के दौरान आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया तथा समस्याओं का निराकरण किया। बैठक में जनगणना उपनिदेशक एम.एस. भाटी, जिला जनगणना प्रभारी एल.एन.मीणा तहसीलदार रवि वर्मा, नायब तहसीलदार, ईओ नगरपालिका जनार्दन शर्मा, आर आई मदनमोहन गुप्ता, एमटीएस गिर्राज प्रसाद गुर्जर व शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सुपरवाईजर व प्रगणक उपस्थित थे।

दैनिक - भास्कर
दि 23/5/2010

जनगणनाकर्मियों को 3 घंटे की छूट

शिक्षकों को तीन दिन में मिलेगा एक उपार्जित अवकाश

विसं.जयपुर

जनगणना में लगे सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय में तीन घंटे की छूट दी गई है। इन कर्मचारियों को सुबह दो घंटे देरी से कार्यालय आने और शाम को एक घंटे पहले जाने की छूट होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जनगणना निदेशालय ने हाल ही में राज्य सरकार को जनसंख्या रजिस्टर और मकान सूचीकरण के काम में लगे कर्मचारियों को कार्यालय समय को लेकर आ रही परेशानी के बारे में लिखा था, जिसके बाद सरकार ने यह छूट दी है।

इस बार जनगणना के काम में 1.46 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं जिनमें 1.26 लाख प्रगणक और 20 हजार सुपरवाइजर शामिल हैं। कर्मचारियों को कार्यालय समय में दी गई छूट जनगणना के पहले चरण में 30 जून तक और दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक मिलेगी।

शिक्षकों को तीन दिन में मिलेगा एक उपार्जित अवकाश : जनगणना में लगे शिक्षकों को तीन कार्य दिवस के बदले एक उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। पहला चरण गर्मियों की छुट्टियों में होने के कारण शिक्षकों को तीन दिन के बदले एक दिन का अवकाश देने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रणक और सुपरवाइजर का काम कर रहे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश मंजूर करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान पत्रिका
दि 21/5/2010

जनगणना: विभागों से कर्मचारियों को तुरन्त कार्यमुक्त करने को कहा

अब नहीं चलेगी कोताही

कार्यालय संवाददाता @ जयपुर

राज्य सरकार ने जनगणना के लिए कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं करने को गंभीर मानते हुए विभागाध्यक्षों से उन्हें तुरन्त जनगणना कार्य के लिए भेजने को कहा है। जनगणना कार्य में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी अभी तक ड्यूटी लगने के बावजूद जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें गुरुवार को ही जनगणना कार्य के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, हिदायत दी कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी प्रमुख जनगणना अधिकारी (कलक्टर) ही निरस्त कर सकेंगे, जिनकी सूचना साप्ताहिक जनगणना निदेशक को भेजनी होगी।

राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गुरुवार को आदेश जारी कर जनगणना कार्य में लगे कार्मचारियों को कार्यालय समय के पहले दो घंटे और कार्यालय समय समाप्ति के आखिरी एक घंटे के लिए कार्यालय से छूट दी गई है। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को तीन दिन काम के बदले एक उपार्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए।

जनगणना-2001

कुल ग्रामीण आबादी
43292813

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं
20866173

राजस्थान – पत्रिका
दि - 20/5/2010

जनगणना के अब ज्यादा पैसे

कार्यालय संवाददाता @ जयपुर

जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों को अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए तीन से दस हजार रुपए तक अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रगणक व सुपरवाइजर को एनपीआर के लिए तीन हजार रुपए का भुगतान तीन चरण में होगा। जनगणना के लिए मानदेय पहले ही तय हो गया था, इसमें से मकान सूचीकरण व प्रमुख चरण के लिए राशि भी तय हो गई थी। जनगणना के लिए प्रगणक व सुपरवाइजर को साढ़े पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा, इसमें से 2200 रुपए जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण के लिए मिलने है।

जनगणना मानदेय

प्रगणक, सुपरवाइजर: 5500 रुपए (इसमें मकान सूचीकरण के 2200 रुपए)

चार्ज अधिकारी, एसडीओ व अतिरिक्त चार्ज अधिकारी:10 हजार रुपए (इसमें मकान सूचीकरण के 4000 रुपए)

प्रमुख जनगणना अधिकारी व जिला जनगणना अधिकारी- 12 हजार रुपए (इसमें मकान सूचीकरण के 5000 रुपए)

एनपीआर मानदेय

प्रगणक-सुपरवाइजर-3000 रुपए (इसमें एनपीआर सूची भरने के 1500 रुपए, शेष दो चरण में) पढ़ें जनगणना @ पेज 04

पढ़ें जनगणना....

मास्टर ट्रेनर-1100 रुपए
स्थानीय रजिस्ट्रार-4000 रुपए
चार्ज अधिकारी-5000 रुपए
उप जिला रजिस्ट्रार-5000 रुपए
जिला रजिस्ट्रार-8000 रुपए
राज्य समन्वयक-10 हजार रुपए

दैनिक भास्कर
18/5/2010

हरसहाय मीणा नगर निगम के एसीईओ होंगे

जयपुर। राज्य सरकार ने अब जयपुर नगर निगम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर एक और आईएएस को लगाया है। निगम में अब दो आईएएस होंगे। अभी तक निगम में केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर ही आईएएस को लगाया जाता रहा है। मीणा ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। वे जनगणना, हेल्पलाइन और मुख्यालय भवन से संबंधित कामकाज देखेंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस पद पर आईएएस हरसहाय मीणा को लगाया गया है। मीणा को हाल ही में वाणिज्यिक कर विभाग से एपीओ किया गया था।

[illegible] - पत्रिका

जनगणना शुरू

[पहला चरण] मकानों का सूचीकरण शुरू

कार्यालय संवाददाता @ भीलवाड़ा

जनसंख्या की गणना के लिए राष्ट्रीय अभियान का श्रीगणेश शनिवार सुबह 7.55 बजे जिला कलक्टर के आवास से हुआ। जिला कलक्टर मंजू राजपाल ने खुद जनगणना के दो प्रपत्रों में परिवार के बारे में जानकारी इन्द्राज की। फिर जिले के विभिन्न ब्लाकों में जनगणना टीमें मकानों के सूचीकरण के लिए रवाना कर दी गई।

जनगणना के शुभारम्भ के लिए शनिवार सुबह पौने आठ बजे नगर जनगणना प्रभारी नगर परिषद आयुक्त रुस्तम अली शेख, जिला प्रभारी जे.पी. मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक उमाशंकर शर्मा, प्रगणक मधु टेलर, जिला कलक्टर मंजू राजपाल के आवास पर पहुंचे। राजपाल ने राष्ट्रीय जनगणना अभियान के बारे में टीम से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जनगणना प्रपत्रों में मूल निवास, पिता, पति, दो पुत्रियों के बारे में जानकारी इन्द्राज की। फिर विशेष जनगणना टीम विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के आरके कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची। यहां विधायक अवस्थी ने अपने परिवार के बारे में जानकारी इन्द्राज कराई। फिर टीम ने नगर परिषद सभापति ओम नराणीवाल के आवास पर पहुंचकर परिवार के बारे में जानकारी ली। इसके बाद जनगणना टीमों ने जिले में मकानों के सूचीकरण के कार्य को गति दी। जनगणना प्रभारी जेपी मीणा ने बताया कि जिले को जिले में 4440 ब्लॉक में विभक्त किया गया है। 720 सुपरवाइजर व 4195 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं।

अपने परिवार के विवरण का इन्द्राज करती जिला कलक्टर मंजू राजपाल। - पत्रिका

मैं किस श्रेणी में....

मैं, किसी श्रेणी में हूं। जिला कलक्टर मंजू राजपाल के इस सवाल से एक बारगी प्रगणक को जवाब ही नहीं सूझा। नगर जनगणना प्रभारी आयुक्त रुस्तम अली शेख स्थिति संभालते हुए बोले की मैडम आपको जिले में निवास करते हुए छह माह से अधिक का समय हो गया। अतः आप स्थाई श्रेणी में आते हैं। जिला कलक्टर ने इस पर जनगणना प्रपत्र कैसे भरे जाते हैं और जनगणना टीम लोगों को कैसे समझाएगी, इसे लेकर भी जानकारी ली। जिले के कुछ ब्लाक में शनिवार को सुपरवाइजर व प्रगणक जनगणना किट लेने नहीं पहुंचे। इससे उन क्षेत्रों के मकानों का सूचीकरण कार्य शुरू नहीं हो सका। शेख ने बताया कि जनगणना किट नहीं लेने वाले कार्मिकों को सोमवार तक समय दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने किट नहीं उठाया तो उनके खिलाफ न्यायालय में धारा 11 के तहत चालान पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम व द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के बावजूद किट लेने नहीं पहुंचे प्रगणकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

"महका भारत" 13-05-2010

जनगणना के बाद ही नया जिला बनना संभव-चौधरी

कोटपूतली, 12 मई (निसं)। प्रदेश के राजस्व एवं सैनिक कल्याणक मंत्री हेमाराज चौधरी ने कोटपूतली को जिला बनाने की मांग को लेकर कहा कि जनगणना के बाद ही नया जिला बनना संभव है। जिले बनाने का काम मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री चाहे जब जिला बना सकते है। राजस्व मंत्री चौधरी बानसूर तहसील के ग्राम इसरका बास में शहीद की मूर्ति अनावरण समारोह से वापस लौटते समय कस्बे में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप चौधरी के आवास पर बुधवार को वार्ता के दौरान यह बात कही। राजस्व मंत्री ने कहा कि पहली बार हमने राजस्व में फैसला किया है कि हर किसान को अपने-अपने खेत में जाने के लिए रास्ता मिलेगा। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप चौधरी व राजेश चौधरी ने राजस्वमंत्री का माल्यार्पण का साफा बांधकर स्वागत किया। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह यादव, हरिदास महाराज नगर अध्यक्ष बुद्धराम सैनी, कैलाश पटेल, पार्षद हनुमान सैनी, सरपंच रामनिवास सैनी, धर्मपाल सैनी, प्रधानाचार्य देवी सहाय सैनी, विराट यादव, तहसीलदार डॉ. रामोतार गुर्जर आदि उपस्थित थे। दूसरी और स्थानीय दीवान रीजेंसी होटल में प्रातः प्रदेश के ऊर्जा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह का इसरका बास जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं, डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर, युवा नेता जय प्रकाश सैनी के नेतृत्व में कमलेश कसाना, रामसिंह रावत, बाबूलाल सैनी, मनोज यादव आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।

जनगणना कार्य को पूर्ण करने की अपील

जयपुर, 12 मई (कासं)। जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरपी जैन ने जनगणना कार्यों से जुड़े सभी कार्मिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्यों को पूर्ण ईमानदारी व लगन के साथ पूरा करें। उन्होंने बताया कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इसके पश्चात 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती रही है।

इस प्रकार 'भारत की जनगणना 2011' स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 7वीं एवं अब तक की 15वीं जनगणना होगी। उन्होंने बताया कि जनगणना-11 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टार तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा। जिससे कि देश में रहने वाले समस्त लोगों का वृहद डाटाबेस तैयार किया जा सके। देश में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित आंकड़ों का मुख्य स्त्रोत जनगणना ही है। उन्होंने कहा कि जनगणना का प्रथम चरण का कार्य 15 मई से 30 जून तक किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टार तैयार करना, नजरी नक्शा तैयार करना, मकानों पर नम्बर डालना, मकान सूची एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, परिवार अनुसूची भरने का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा।

जनता से सहयोग की अपील

कांग्रेस नेता वेदप्रकाश सोलंकी ने जनता से जनगणना में पूरा सहयोग करने की अपील की है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे वेदप्रकाश सोलंकी बुधवार को मानसरोवर में चाकसू क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। सोलंकी ने कहा कि जनगणना के आधार पर ही योजनाएं बनती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवा कर सही कराने के भी निर्देश दिए।